न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 198 / 2016
दायर दिनांक :– 14.10.2016

अनवान

1. श्री मगना पिता उदा लाल जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
2. श्री बन्ना लाल पिता उदा लाल जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
3. श्री राजू पिता उदा लाल जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर

वादीगण........

बनाम

1. श्री महावीर पिता सुखा जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
2. श्री महेन्द्र पिता महावीर जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
3. श्री जीतू पिता महावीर जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अंजनी कुमार शर्मा, वकील वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 11.03.2020

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है श्री ग्राम टीठोडी प0 ह0 टीठोडी तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 903 रकबा 06.04 बीघा भुमि पर वादीगणो का कई वर्षो से निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपुर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस वर्ष वादीगण ने उक्त आराजी में उडद की फसल बौ रखी है जो पककर तैयार है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन शक्ति के बल पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर करना चाहते हैं और वादीगण को अपनी खेती एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहता हैं इसी आशय से प्रतिवादी स. 1 से 3 करीब 10– 15 दिनों से वादी की उक्त आराजी में से फसल को काटकर ले जाने की धमकिया दे रहे है पूर्व मे भी प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि से जबरन फसल काट कर ले गये थे। इस कारण वादीगण को आंशका है कि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर से धमकी अनुसार फसल काटकर ले जा सकते हैं और वादीगण को उनकी भूमि से बेदखल कर सकते हैं इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण को यह वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई हैं इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत हैं कि वे वादीगण को उसके हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग में किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करें करावे। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नही हैं। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालीन जारी करने में उनको किसी प्रकार का नुकसान नही है। जबकी वादीगण के पक्ष में ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने पर अपूरणीय क्षति होना व अनेक मुकदमे होना सम्भावित है। वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालीन करवाने की अधिकारी है। वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की मांग की।

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:32:32

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2071 से 2074 की नकल, नक्शा ट्रेस की प्रति पेश किये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल से होती है। तथा प्रथम दृष्टया केश एवं सुविधा संतुलन वादीगण के पक्ष में है। जिसे न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम टीठोडी प0 ह0 टीठोडी तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 903 रकबा 06.04 बीघा में वादीगण के हिस्से पर कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से उनके नौकरों व ऐजेन्टों रिश्तेदारो द्वारा वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:32:32

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्री मगना पिता उदा लाल जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
2. श्री बन्ना लाल पिता उदा लाल जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
3. श्री राजू पिता उदा लाल जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर

वादीगण......

बनाम

1. श्री महावीर पिता सुखा जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
2. श्री महेन्द्र पिता महावीर जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
3. श्री जीतू पिता महावीर जाट नि. टीठोडी तह0 जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 198 / 2016

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अंजनी कुमार शर्मा का मिनजानिब मुदई व श्री का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम टीठोडी प0 ह0 टीठोडी तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 903 रकबा 06.04 बीघा में वादीगण के हिस्से पर कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से उनके नौकरों व ऐजेन्टों रिश्तेदारो द्वारा वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.03.2020

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:32:32